बिस चुनाव में वोट देना चाहते हैं तो 15 तक बनें मतदाता

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव, 2020 में शामिल होने की इच्छा रखने वाले भारतीय नागरिकों के लिए 15 जनवरी तक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराना होगा। चुनाव आयोग के निर्देश पर पूरे बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है।

मतदाता सूची में 01 जनवरी 2020 को 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र के व्यक्ति मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं। मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के बाद उन्हें ईपिक (मतदाता पहचान पत्र) मिलेगा। यह एक विशिष्ट पहचान पत्र के रूप में भी काम करेगा। चुनाव आयोग ने बिहार में 16 दिसंबर 2019 को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया था। साथ ही मतदाता सूची में संशोधन, नये नाम जोड़ने या हटाने, फोटो जोड़ने या बदलने इत्यादि कार्य के लिए 15 जनवरी, 2020 अंतिम तिथि निर्धारित की गयी है। सात फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। निर्वाचन विभाग के सूत्रों के अनुसार, ईपिक में आवासीय पता को चेक जरूर कराना चाहिए ताकि मतदाता के आवास के समीप स्थित बूथ पर मतदान का अवसर मिलें। साथ ही, तस्वीर अगर पहचान योग्य नहीं है तो उसे भी अद्यतन कराना चाहिए। साथ ही, मतदाता सूची में नाम, पिता का नाम इत्यादि की त्रुटियों में भी सुधार कराया जाना चाहिए।